year 1984-85, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the Company.

II. Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at I(i) (a) above. [Placed in Library. *See* No. LT-2122/86 for (ii) add (II)]

I. Report and Accounts (1982-83) of the Gujarat Agro-Industries Corporation Limited, Ahmedabad and related Papers.

II. Report and Accounts (1982-83) of the Kerala Agro-Industries Corporation Limited, Trivandrum and related Papers.

III. Report and Accounts (1980-81) of the Orissa Agro-Industries Corporation Limited, Bhubaneswar and related Papers.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (SHRI YOGENDRA MAKWANA): Sir, I beg to lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i)(a) Fourteenth Annual Report and Accounts of the Gujarat Agro-Industries Corporation Limited, Ahmedabad, for the year 1982-83, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the Corporation [Placed in Library. *See* No. LT-2128/86 for (a) and (b)].

(ii)(a) Fifteenth Annual Report and Accounts of the Kerala Agro-Industries Corporation, Limited, Trivandrum, for the year 1982-83, together with the Auditors' Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the Corporation. [Placed in Library. *See* No. LT-2129/86 for (a) and (b)].

(iii)(a) Nineteenth Annual Report and Accounts of the Orissa Agro-Industries Corporation Limited, Bhubaneswar, for the year 1980-81, together with the Auditors' Report on the Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the Corporation.

II. Statements (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at I(i)(a), (ii) and (iii) (a) above. [Placed in Library. *See* No LT-2127/87 for (a), (b) and (II)]

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Long standing demand for setting up a bench of the Allahabad High Court in Western Uttar Pradesh and the steps taken by government in the matter.

श्री विरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : सभापति महोदय मैं आपकी अनुमति से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना हेतु लम्बे समय से चली आ रही मांग और इस मामले में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की ओर विधि और न्याय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ASOKE KUMAR SEN): Mr. Chairman,

Sir, the demand for a Bench of the Allahabad High Court in the Western Districts of Uttar Pradesh has been pressed by the people of Western Uttar Pradesh for a farily long time. The State Government referred the matter to the Government of India in March, 1981 and proposed the establishment of a Bench of the Allahabad High Court to cater to the needs of the Western Districts of Uttar Pradesh comprised in the Commissioners' Divisions of Garhwal, Meerut, Agra, Moradabad, Bareilly and Kumaon. However, the State Government did not suggest where the Bench should be located and left it to the Government of India to decide the question of its location. The State Government's proposal also deviated from its earlier proposal in respect of the Districts to be covered by the proposed Bench for Western Uttar Pradesh.

The State Government had earlier sent the views of some of the former Chief Justices and the then Chief Justice of Allahabad High Court. All of them were opposed to the idea of establishing a Bench of the Allahabad High Court at Meerut or at any other place in the State.

The Chief Justice of India had also expressed the view that no useful purpose would be served by setting up a Bench at Meerut and that it would only be a prelude to the demand for more Benches all over the State as demands in this behalf were already being made for having Benches in other places also.

Since the matter required detailed examination from all angles, a three-Member Commission headed by Shri Justice Jaswant Singh was set up in September, 1981 to consider all aspects arising out of the demand for the Constitution of a Bench for the Western Districts of Uttar Pradesh and the various aspects of the recommendation made by the State Government. The terms of reference of the Jaswant Singh Commission were later enlarged to include consideration of demands for setting up Benches of certain other High Courts also and the general question of estabilishing Benches away from the principal seats of the High Courts. The Commission submitted its recommendations to the Government on 30th April, 1985. These are engaging the attention of the Government.

It may be mentioned that the Law Commission had earlier opposed the idea of creation of multiple Benches of High Courts. The Chief Justices of High Courts in their conferences held in 1979 and 1985 expressed the view that as far as possible new Benches should not be set up as it impeded the smooth functioning of the High Courts. However, they suggested that the primary consideration for setting up Benches should be the convenience of the litigant public.

Sir, the Government is fully conscious of the need to bring justice as close to the people as possible. At the same time, it has to ensure that the quality of justice dispensed by the High Courts is in no way impaired. Government is therefore considering the entire matter comprehensively. It can come to a conclusion only after giving careful thought to all the contraversies and disputes concerning this matter. The question of establishment of a Bench of the Allahabad High Court for the Western Districts of U. P. will have to be decided on an overall appraisal of the matter and the general policy to be evolved in an all-India context for the setting up of multiple Benches for the different High Courts.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय सभापति महोदय, सन् 1952 से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायपीठ स्थापित करने की मांग चल रही है। उत्तर प्रदेश, मान्यवर, आबादी की दृष्टि से संसार का सातवां देश है।

(उपसभापति जी पीठासीन हुए)

केवल 6 देश ही संसार में आबादी में उससे अधिक हैं। आबादी से ही मुकदमे होते हैं और मुकदमों की संख्या भी उत्तर

[श्री विरेन्द्र वर्मा]

प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज ढाई लाख से कहीं अधिक हैं। जिस हिसाब से मान्यवर, अनिर्णीत मामलों की संख्या बढती जाती हैं, 21वीं सदी में जब देश पदार्पण करेगा उसमें जब उत्तर प्रदेश जायेगा तो इस हिसाब से 5 लाख से कहीं अधिक लम्बित केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो जायेंगे सन् 1953-54 में जब राज्यों के पुनर्गठन का आयोग भारत सरकार ने बनाया था। उत्तर प्रदेश के 98 कांग्रेसी विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी के सम्मुख प्रदेश के बंटवारे का प्रश्न रखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मिनिस्टरों को छोड़कर जितने और विधायक थे कांग्रेस के, सभी सेंट परसेंट 98 विधायकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभाजन की मांग की थी। माननीय पंत जी ने जो हमारे बड़े नेता थे श्रद्धा के पात्र थे उन्होंने विधायकों को बुलाया और कहा कि आप अपनी इस मांग को वापस ले लें हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, शायद उन्होंने मेरठ में कहा था कि वहां इलाहाबाद हाईकोर्ट की पीठ गठित कर देंगे। मान्यवर, डा० सम्पूर्णानंद जी ने इसी प्रकार का आश्वासन उत्तर प्रदेश के विधायकों को दिया था। उसके बाद नारायण दत्त तिवारी जी भी इसी प्रकार का आश्वासन प्रदेश की जनता को दे चुके, विधायकों को दे चुके और अपनी रिपोर्ट भी केन्द्र सरकार को भेज चुके। मान्यवर, फिर श्री बनारसी दास जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने भी संस्तुति की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंड पीठ स्थापित की जाये। पुनः जब श्री नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने पुनः भारत सरकार को अपनी संस्तुति की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक खंड पीठ स्थापित की जाये। मान्यवर, इतना ही नहीं। बल्कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जिस समय देश की प्रधान मंत्री थीं, सन् 1976 ई० में उन्होंने मेरठ में पब्लिक मीटिंग में, सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की थी कि वह बहुत न्यायसंगत मांग है और मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच हम स्थापित करेंगे।

मान्यवर, मैं सौभाग्य से उस श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की वर्किंग कमेटी का एक सदस्य था, मुझे जानकारी थी और, मान्यवर अगर आप भी देखेंगे अपने केबिनेट के रेकार्ड को उठाकर देखें तो सन् 1976 में उस समय की केबिनेट ने भी यह फैसला लिया था कि मेरठ में इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की जाएगी।

मान्यवर, मैंने लोक सभा में और राज्य सभा में आपके प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वह भी देखे हैं और पढ़े हैं, चीफ जस्टिसेज़ सब जगह के विरोध करते है। क्या इलाहाबाद हाई कार्ट के, क्या चीफ जस्टिस यहां के, हर कोई आदमी यह कहता है कि गरीब आदमी को सस्ता, सुलभ और उसके घर पर, उसके डोरस्टेप पर उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन, मान्यवर, कहता है हर कोई और देता कोई नहीं। लेकिन बावजूद इस बात के कि आपके चीफ जस्टिस हमेशा विरोध करते रहे, मान्यवर, भारत सरकार ने 1976 ई० में पटना हाई कार्ट की एक बेंच रांची में स्थापित की।

मान्यवर, 1977 ई० में जोधपुर हाई कोर्ट की बेंच राजस्थान की कैपिटल जयपुर में स्थापित की और, 1982 ई० में गोआ के पंजिम में आपने बम्बई हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की और इतना ही नहीं, बल्कि औरंगाबाद में 27-8-1984 को आपने बम्बई हाई कोर्ट की बेंच स्थापित की। यह बात नहीं है, मान्यवर, कि चीफ जस्टिस मना कर रहे हैं और कहीं आपने हाई कोर्ट की बेंचेज़ स्थापित नहीं की हों।

हां, उत्तर आपके यह जरूर आए कि मेघालय, अरुणाचल की राजधानी और कोहिमा, तथा कई स्टेट्स की आपने खास तौर से यह कहा है कि वहां इतने कैसेज कम हैं कि वहां जस्टिफाई नहीं हो सकता कि वहां पर हाई कोर्ट की बेंच स्थापित कर दी जाए।

मान्यवर, केसेज के आधार पर बेंच स्थापित नहीं हो सकती, आप उसको नामंजूर करते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में केसेज के आधार पर केसेज होते हुए भी, न्याय संगत होते हुए भी आप हमारी मांग को स्वीकार नहीं करते।

मान्यवर, सन् 1981 ई० में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन किसी एक पालिटिकल पार्टी का नहीं था, सारी पालिटिकल पार्टीज इससे संबंधित थीं, सारी जनता इससे संबंधित थी और 16-3-1981 को इतना बड़ा ऐतिहासिक बन्द सारे उन जिलों में हुआ कि पान तक की और चाय तक की सब दुकानें भी बन्द हुई, रेलें भी बन्द हुई, बसेज भी बन्द हुई, सारी दुकानें भी बन्द थीं। यूनेनिमस होकर लोगों ने अपनी दुकानें बंद कीं, सर्व-सम्मति से बन्द की थीं। जब यह देखा, तो भारत सरकार ने जसवंत सिंह आयोग स्थापित किया और मान्यवर, उपसभापति महोदय, जसवंत सिंह आयोग को यह कहा गया कि छह महीने के अन्दर अपनी रिपार्ट दे दें, केवल छह महीने के अन्दर। छह महीने बीत चुके। छह साल होने को आये हैं, पर आज तक फैसला न ले सके। छह महीने में वह भी रिपोर्ट न दे सके और रिटायर्ड जस्टिस, उसको आपने बड़ा बना दिया, तनख्वाहें मिलती हैं। एक साल, छह महीने में रिपोर्ट मांगी। साल भी गुजर गया, दो, तीन चार, पांच साल बाद वह अपनी रिपोर्ट देते हैं और वह रिपोर्ट भी साल भर से आपके यहां लम्बित है, पर कोई निर्णय नहीं होता। क्या करें, कहां जाएं? हमारी न्याय की मांग भी अगर आप नहीं मान सकते और हमें न्याय नहीं दे सकते तो कहां हम किस प्रकार से अपनी बात को किस के सामने ले जायेंगे। हमारी मंशा इलाहाबाद हाई कोर्ट को उठाने की नहीं है, हाई कोर्ट वहीं रहेगी। 45 जिले हैं जिनके केसेज वहां जाते हैं। केवल 12 जिलों के केसेज लखनऊ बेंच पर जाते हैं और मान्यवर, यही नहीं महाराष्ट्र की आबादी 6 करोड़ से कम है, महाराष्ट्र हाईकोर्ट की तीन बैंच वहां पर हैं। नागपुर में है, बम्बई में है और औरंगाबाद में 1984 में खोला है और आबादी 6 करोड़ से भी कम है। मध्य प्रदेश की आबादी 6 करोड़ के करीब है हाई कोर्ट की तीन बैंचज वहां पर हैं। राजस्थान की आबादी सवा तीन करोड़ के करीब है दो हाई कोर्ट वहां पर भी स्थापित है। जम्मू और काश्मीर की आबादी कितनी है दिल्ली की आबादी कितनी है, हिमाचल प्रदेश की कितनी आबादी है और पंजाब और हरियाणा की कितनी आबादी है। जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और हरियाणा, दिल्ली और चण्डीगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन सब की आबादी भी अगर आप लेंगे तो इनकी आबादी के बराबर उत्तर प्रदेश अकेला है उनमें 9 हाई कोर्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में सवा हाई कोर्ट। आप हमारी न्यायोचित मांग भी नहीं मानते। चीफ जस्टिस महोदय ने और माननीय राज्य मंत्री महोदय ने हैदराबाद में जा करके घोषणा की है; हम यह चाहते हैं कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, डोर स्टैप पर न्याय मिले। यही नहीं बल्कि मेरे पास राष्ट्रपति जी का पिछले वर्ष का और इस वर्ष का संभाषण है। पिछले वर्ष उन्होंने यह कहा था कि जनता को सस्ता न्याय दिलाने की यह सरकार कोशिश करेगी। आप तो जरा से भी नहीं चले। राष्ट्रपति जी तो चाहते हैं कि सस्ता न्याय मिले। हालांकि जो आप चाहते हैं वही राष्ट्रपति जी कहते हैं। उन्होंने पिछले साल भी कहा, आपने भी कहा, जो रिपोर्ट आपने पढ़ी है, आपने अभी कहा कि हम यह चाहते हैं कि शीघ्र मिल जाए। मान्यवर, आप अनुमान लगाइयेगा कि इलाहाबाद हमारे मेरठ जिले के गांव जो यमुना नदी के किनारे हैं सात सौ किलोमीटर की दूरी पर हैं मुजफ्फरनगर और आपके सहारनपुर से आठ सौ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पड़ता है। क्या दूरी मायने नहीं रखती, क्या खर्चा मायने नहीं रखता? क्या इतनी दूर जा कर लोग न्याय पा सकते हैं। इलाहाबाद के एडवोकेट्स मुखालफत करते हैं तो क्या उन एडवोकेट्स के लिए

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

हाईकोर्ट स्थापित किया है या कि देश की गरीब जनता के लिए आपने हाई कोर्ट स्थापित किया है? हमें यह शिकायत है और हम न्याय के खातिर मांग लिए बैठे हैं। अभी 20 फरवरी, को पांच हजार एडवोकेट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इसी मांग को ले करके आए। वे अपने चेयरमैन महोदय को मैमोरेंडम देने के लिए और स्पीकर लोक सभा को मैमोरेंडम देने के लिए यहां पधारे थे। मेरी मौजूदगी में जिस निर्दयता के साथ यहां की पुलिस ने डंडेबाजी की है वह एक अत्यन्त दुखद घटना थी। वे खुद नहीं आ सके, मुझको मेमोरेंडम दिया। उनके ऊपर लाठियां पड़ी, डंडे पड़े, उनके सिर भी फूट गए और उनके टांके भी मेरी मौजूदगी में लगे। मैं तो बच गया, मैं उस समय शेरवानी में था और वे कोट-पैंट आदि पहने हुए थे। मान्यवर, जो वायदा आपका है, जो वायदा इंदिरा गांधी जी का है इसका आप ध्यान रखें। हमारे देश में तो एक बहुत पुरानी रात है, जब हम बहुत छोटे थे तो सुना करते थे, अब शायद लोग उसे भूल गए कि "रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई।" डा० संपूर्णानंद जो जब उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री थे, मान्यवर, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हार जाता है तो मैं चीफ मिनिस्टरी से इस्तीफा दे दूंगा। उनको मेजोरिटी थी, किसी ने उनकी मेजोरिटी का क्वैश्चन नहीं किया था, लेकिन फिर भी अपनी जुबां जो दी थी, उस पर अड़े रहे थे। क्या श्रीमती इंदिरा गांधी की बदर आप नहीं करना चाहते, क्या गरीबों को न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, उनके घर पर उनको सुलभ और सस्ता न्याय आप नहीं दिलाना चाहते है? माननीय न्याय मंत्री जी मैं आपको जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि जब किसी आदमी को लोअर-कोर्ट से सजा होती है जेल में वह पड़ा रहता है, सजा पूरी कर लेता है अपील में सुनवाई भी नहीं की जाती और क्रिमिनल जो संगीन क्राइम करते हैं, उनको पकड़ा जाता है, फिर जमानत हो जाती है कि आकर क्राइम करता है, फिर पकड़ा जाता है। मुझे जानकारी है ऐसे क्रिमीनल्स हैं, तीन-तीन क्राइम किए हैं, उनके केसेज हुए हैं और दस-दस साल से केसेज पड़े हुए हैं। इसलिए मैं इस न्यायोचित मांग की पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस ओर देखें और मान्यवर, अगर आप यह कहें कि हम नहीं देना चाहते हैं जस्टिस हमारे मत्थे कर रहे हैं, अलग स्टेट बना करके ही आप हाईकोर्ट की बेंच दे सकते हैं, तो मान्यवर मेरा यह प्रार्थना है कि यह जो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है इसका आप बंटवारा करा दीजिएगा, जिससे न्याय हमें सुलभ हो सके, सस्ता मिल सके और हमारे ही दरवाजे पर मिल सके। जो आपके राष्ट्रपति का अभिभाषण है और जो आपका खुद का वायदा है, उसे आप पूरा कीजिए इतना कहकर मैं बैठना चाहता हूं।

श्री राम चन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, यह मांग मेरठ में हाईकोर्ट की बैंच की, बहुत पुरानी है। सन् 1952 में यू०पी० असम्बली में मैं मेम्बर होकर गया, तब से मैंने इस सवाल को उठाया। हमारे उस समय के मुख्य मंत्री गोविन्द बल्लभ पंत जी ने हाऊस में भी आश्वासन दिया, पब्लिक में भी आश्वासन दिया और फजल अली कमीशन यू०पी० के डिवीजन के लिए भी बैठा, जैसा कि वर्मा जी ने चर्चा की, तब भी हमको बुलाकर कहा, हाऊस में भी कहा और पब्लिक में भी कहा कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा न मांगे, हम मेरठ में मेडीकल कॉलेज देंगे, यूनिवर्सिटी देंगे और हाईकोर्ट की बैंच देंगे। दो वायदे तो गोविंद बल्लभ पंत जी के पूरे हुए, मेरठ में मेडीकल कॉलेज भी आ गया, यूनिवर्सिटी भी आ गयी, मगर हाईकोर्ट की बैंच अभी तक नहीं आयी। खाली गोविन्द बल्लभ पंत जी ने यह आश्वासन दिया हो, ऐसी बात नहीं है, हमारे अनेक चीफ मिनिस्टर जो हुए हैं, चाहे संपूर्णानन्द जी हुए हों, चाहे सी०बी० गुप्ता जी रहे हों, चाहे चरण सिंह जी रहे हों, सब लोग यह कहते रहे कि हम हाईकोर्ट की बैंच देंगे। प्रधानमंत्री स्व० इंदिरा जी की भी चर्चा

की, उन्होंने भी पब्लिक मीटिंग में इस बारे में कहा और कई बार कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसके बारे में कहा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा और सन, 1952 से मैं लगातार इस सवाल को उठाता रहा, 1971 तक। जब यहां लोक सभा में आया तो गोखले साहब का बयान है हाऊस के अन्दर, पार्लियामेंट के अंदर कि जोधपुर हाईकोर्ट की बैंच जब जयपुर में देंगे, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट की बैंच मेरठ में भी देंगे। यह शब्द हैं। पता नहीं इतनी बड़ी इस मांग को जो न्यायोचित मांग है, जनतांत्रिक मांग हैं, जिसको सब एग्री करते हैं, जैसा आज के न्याय मंत्री भी कह रहे हैं–हम देना चाहते हैं।

जहां तक कमीशन का है। कई कमीशन बैठे, जसवन्त सिंह कमीशन बैठा, जैसा कि वर्मा जो जिक्र कर रहे थे। यह तो थोड़ा टालने की बात होती है। जो पब्लिक का ताजा जोश हैं, उसको कमीशन बैठाकर टला दें। कमीशन की कोई जरूरत इसके लिए नहीं थी। इसकी न्यायोचित स्थिति और वैधता को अगर देखें। जहां तक वकीलों का सवाल है। उपसभापति महोदय, असेम्बली में मेरा एक सवाल था और मेरी पिटीशन भी उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, हमारे वकील खरे थे। जब सवाल उठाया, और अखबारों में आया, तो वह मेरे जिम्मे हो गए कि यह क्या सलूखा मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा–तुम हाई कोर्ट के वकील बुला लो, मैं उनको कन्वीन्स कर दूंगा। और मैंने इलाहाबाद में वकीलों के बीच में उनको कंवींस भी किया। सफाई के तौर पर किसी वकील के पास कोई तर्क नहीं था, सिवा रोजी-रोटी पर फर्क पड़ेगा, यह तर्क था। उसके लिए भी मैंने कहा कि यह तर्क तुम्हारा सही है, तुम्हारी रोजीरोटी पर असर पड़ेगा और उसका भी मेरे पास प्रबंध हैं, यह मैंने मजाक के तौर पर नहीं कहा, सचाई से कहा कि जो हमारे पश्चिम के वकील हैं, यहां हाईकोर्ट की वजह से आए हैं, चाहे मुजफ्फरनगर के हैं, चाहे देहरादून के हैं, चाहे सहारनपुर के हैं, चाहे मेरठ के हैं, चाहे आगरा के हैं, चाहे बरेली के हैं, सबको वहीं बुला लेंगे क्योंकि यहां भी आप रोटी के लिए आए हैं, वहां आपको रोटी मिल जाएगी। हाई कोर्ट की बैंच होने से एक फायदा यह भी हो सकता है कि जो होशियार वकील हैं, वह मोदीनगर में, मेरठ में, गाजियाबाद में मकान बना लेंगे और सुप्रिमकोर्ट और दिल्ली की हाई कोर्ट में भी मुकदमें करते रहेंगे। इससे तुम्हारी रोटी बढ़ेगी। मैंने यही सुझाव दिया था और उनको कहा कि जो बुद्धु वकील हैं, वह यहीं रह जाएंगे। यह बात मैंने कई वकीलों की बीच में कही। मैं नहीं समझता कि चन्द वकीलों की वजह से यह हाई कोर्ट की बेंच को टाला जाय।

उपसभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि क्षेत्रवाद इस देश के लिए एक दुखदायी विषय बना हुआ है। मुझे यह कहने में झिझक नहीं हो रही कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा हम खुद देना चाहते हैं। आज यह यू०पी० के बटवारे की बात जो वर्मा जी यहीं कर रहे हैं, पब्लिक में भी उठ खड़ी हुई है। इस मांग को फिर से दुबारा पनपाया जा रहा है। कभी-कभी यह होता है, जैसे मैं कहूंगा कि गुड़ की जगह ढेली देना पड़ती है। हाई कोर्ट की बैंच न देकर और तथ्यहीन बातें कह कर जनभावनाओं को दबाना चाहते हैं या। मैं नहीं चाहता कि वहां जनभावना भड़का कर क्षेत्रवाद फैलाया जाय। मैं नहीं चाहता कि देश के बंटवारे का सवाल हो। देश अनेक संकटों से घिरा है आन्तरिक और वाह्य। देश के अन्दर आन्तरिक कितने संकट है, बाहरी कितने संकट हैं हम उनको समझते हुए यह कहना चाहते हैं कि इस छोटी सी मांग को, जो पूरा करने के लिए, इतने बड़े प्रधान मंत्रियों मुख्य मंत्रियों और ला मिनिस्टर्स द्वारा वादा किया जा चुका हैं, उसको पूरा किया जाय तुरन्त। गोखले साहब ने कहा था कि जयपुर की बैंच हो जाय तब देखेंगे।

[श्रीराम चन्द्र विकल]

उसे भी दो साल हो गए। किसी का वादा तो पूरा करो। पार्लियामेंट में वादा हैं, असेम्बली में वादा हैं, पब्लिक में वादा है। मैं आज न्याय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि चाहे प्रधान मंत्री जी से बात कर लें हमें संकोच नहीं, लेकिन यह कर दें। आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बहुत मांग खड़ी हो जायेगी। अगर 250-300 मील से दूर के लोग चाहते हैं तो देश भर में ऐसी बेंचें दे दो, सस्ता न्याय दो। वही जज हैं, न्याय का विकेन्द्रीकरण हो जायेगा। हमारी मांग को टालने के लिए आप औरों का बहाना लें और औरों के लिए हमारा, यह तर्कसंगत बात नहीं हैं, तथ्यपूर्ण बात नहीं है। वकीलों का तर्क हो सकता है। वकील तो सही को गलत और गलत को सही करते हैं कातिल को बचा देते हैं और सच्चे को फंसा देते हैं। वकील के तौर से नहीं कहता।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): We are in full sympathy with him.

श्री राम चन्द्र विकल : मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई तर्कपूर्ण बातें न लाएं, तथ्य और सच्चाई लेकर देश देश भर में, जहां मांग हो, बेंचें दे दें, लेकिन मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच जरुर दें। यह भी कह गया कि मेरठ के बारे में लोग एकमत नहीं हैं। आप देहरादून में दे दो, आगरा में दे दो, बुलन्दशहर में में दे दो। उपसभापति महोदय, जब यू०पी० के बटवारे की बात आई तो श्री चन्द एम०एल०ए० होते थे, उन्होंने एक नक्शा बनाया, कोई जिला नहीं छोड़ा जहां कुछ न कुछ नहीं रखा। नक्शा बनाया गया तो हम भी थे, वर्मा जी भी थे। कहीं हाई कोर्ट की बेंच होगी, कहीं एकाउंटेंट जनरल का आफिस होगा कहीं कुछ। मुझे एतराज नहीं आप देश में जहां दूर न्याय मिलता हो बेंचें दे दें लेकिन हमारी इस मांग को जरूर पूरा जल्दि कर दें। मैं पूर्ण आशा के साथ न्याय मंत्री से कहूंगा प्रधान मंत्री जी से कहूंगा, पन्त जी के पुत्र भी बैठे हैं, आप हो अपने पिता जी के वादे को पूरा कर दो। वे दुनियां में नहीं रहे वादा कर गए थे, आज आप कैबिनेट में हैं, आपको भी हमारी मदद करनी चाहिए। (व्यवधान) देहरादून का आदमी मेरठ आएगा। अभी वर्मा जी बता रहे थे कि मुजफ्फरनगर की दूरी इतनी है लेकिन देहरादून के इंटीरियर से, जमनोत्री से लोग जाते हैं वहां और पार्टियों की तरह से पेशी रिजर्व करवा कर अपने गवाहों को ले कर मैं गया हूं। उन को वहां धर्मशाला में ठहराया। अगर किसी होटल में ठहरना पड़ता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। और उन की रोज खातिर करनी पड़ती थी। शादी में शायद इतन खातिर बारातियों की नहीं करनी पड़ती होगी जो अपने गवाहों की वहां मुझे करनी पड़ी। इसलिये मैं विनम्र शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि इस न्यायोजित और जनतांत्रिक मांग के लिये जितनी जल्दी घोषणा कर दें वह अच्छा होगा। आज ही अगर आप कर दें तो बधाई के पात्र होंगे और अगर डिले करेंगे तो मैं समझता हूं कि होशियारी से आप हम को समझा नहीं पायेंगे और देर तक आप इस मांग को पूरी होने से रोक भी नहीं पायेंगे क्योंकि जन भावनायें तेज हो रही हैं। आप उन को तेज होने का मौका न दें। समय से पहले ही समझना अक्लमंदी है इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी आज जो समस्या हमारे सामने है यह न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि कुछ दूसरे प्रदेशों में भी हैं, मगर आज जो विषय है वह उत्तर प्रदेश के बारे में है और उत्तर प्रदेश के लोगों की काफी दिनों से मांग रही कि उत्तर प्रदेश में दूसरी हाई कोर्ट की बेंच मेरठ में हो या कहीं और हो, वह जायज मांग है और एक हाई कोर्ट बेंच मेरठ में होनी चाहिए। और न सिफ यह लोग आज मांग कर रहे हैं बल्कि इससे पहले भी जैसा विकल साहब ने और वर्मा जी ने बताया कि हर चीफ मिनिस्टर

ने इसके लिये सिफारिश की थी और यहां तक कि पंत जी ने भी की थी । इस में दो रायें नहीं हैं कि वहां दो बेंचे होनी चाहिए । लोगों को दिक्कतें होती हैं और यहां जो हमारे मंत्री जी हैं उन्होंने बयान भी दिया है कि लोगों को न्याय जल्दी मिलना चाहिए ।

"Fair and speedy justice should be given to people and justice delayed is justice denied".

यह तो है ही । तो मैं सरकार से चाहूंगा कि जो आप ने अपने बयान में कहा है कि इस बारे में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राय नहीं दी और वे इस हक में नहीं हैं, इन तमाम चीजों में न जाते हुए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि सही माधनों में वह बताये कि उस को दूसरी बेंच वहां बनाना है या नहीं ? अगर नहीं बनाना है तो क्यों और अगर बनाना है तो उस में आप डिले मत कीजिए और इस बात में मत जाइये कि हाई कोर्ट के जज की राय यह है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की राय उस के हक में नहीं है । क्योंकि हम को लोगों को न्याय देना है और स्पीडीली न्याय देना है इस के बारे में हम को गौर करना चाहिए ।

दूसरी चीज यह है कि हर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी कई सालों से, 20, 20 सालों से कितने ही केसेज पड़े हैं, लोग पेंडिंग केसेज हजारों की तदाद में पड़े हैं । लोगों को दूर दूर से हाई कोर्ट में अपील करने के लिये अपने केसेज को चलाने के लिये आना पड़ता है और कितनी दिक्कत उन लोगों को उठानी पड़ती है और कितना समय और रुपया उनको बर्बाद करना पड़ता है । गरीब आदमी तो जा ही नहीं सकता, उस को तो न्याय मिल नहीं सकता और जिस के पास पैसा है वह भी पैसा खर्च करने के बाद भी कई बार न्याय नहीं पाता । तो इस के लिये सोचना चाहिए । और जहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्टस हैं, मुंसिफ कोर्टस हैं या मैजिस्ट्रे कोर्टस हैं, उन में भी हजारों की तदाद में केसेज पड़े हुए हैं । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । 1980 में एक सत्याग्रह चला था बागपत में माया त्यागी की समस्या को लेकर उस में पुलिस सत्याग्रहियों पर मारपीट करती थी । यह रिपोर्ट सदन में आयी और उस के बाद में और कुछ साथी मिल कर मेरठ वह सब देखने के लिये गये और हमने देखा कि वाकई में उन सत्याग्रहियों को वहां पीटा जा रहा था । उस में हमने इंटरवीन किया और कहा कि यह तो सत्याग्रही हैं । इन को पीटना नहीं चाहिए । मैजिस्ट्रेट भी वहां थे, पुलिस वाले भी थे, हम से उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ नहीं करेंगे । लेकिन उस के बाद भी उन्होंने उन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया । और पुलिस वाले समझे कि हम लोग चले गये । उस के बाद हम फिर पुलिस थाने में गये और पूछा कि सत्याग्रहियों को क्यों मारा पीटा और क्यों बंद कर दिया तो पुलिसवालों ने कहा कि उन पर कोई दफा लगायी जायेगी । तो हमको बाद में एक समन आया 1980 में मेरठ कोर्ट में हाजिर होने के लिये उसको 5 साल हो गए । मैं हैदराबाद से मेरठ शहर जाता हूं तो मेरे दो हजार रुपए एक बार में खर्च होते हैं क्योंकि दो दिन पहले ही पत्र या टेलीग्राम आता है । उस केस को 5 साल हो गए, यह केस ऐनियरेंस में ही है । मैं नहीं समझता कि हम इस तरह लोगों को न्याय दे सकेंगे । आज भी 5-5 साल, 6-6 साल तक केस की सुनवाई नहीं होती है । तो हजारों लाखों की तदाद में इस देश में केसेज हाई कोर्टों में पड़े हुए हैं ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आज अमल में दो मंत्रियों को कोर्ट में आपने इजहार किया है, अब फैसला हो जाएगा ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी आज तक मैंने इस केस का जिक्र नहीं किया । कई लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखो । वे केस विदड्रा करें । लेकिन मैंने कहा नहीं मैं देखना चाहता हूं कि कैसा न्याय होता है । तो मैं सरकार से और मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझकर उस पर

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

गौर कीजिए और उत्तर प्रदेश के लोगों की जो मांग हैं उसके अनुसार दूसरी बेंच बनाई जाये । वह मेरठ में हो, या आगरा में हो, जहां भी आप उचित समझते हैं, उसको वहां पर बनाइए ।

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, the subject which we are discussing is very important. Unfortunately, the Government thinks that the opinion of the Chief Justice of India does not matter in this regard. When the question of transfer of judges came up, they overruled the opinion of the Chief Justice of India. They said they will transfer the judges of the High Courts, including the Chief Justices, from one part of the country to another, Here, I am surprised to find from the statement of the hon. Minister that he has quoted the opinion of the Chief Justice of India that no useful purpose would be served by setting up a Bench at Meerut and that it would only be a prelude to the demand for more Benches all over the State as demands in this behalf are already being made for having Benches in other States also. This implies as if it is an offence to ask for a Bench. The sort of opinion given by the Chief Justice of India is highly deplorable. Sir, Benches have been formed all over the country, for making justice cheaper and less costlier. When we ask for a Bench at Meerut, it is not a new thing we are asking . We are not asking for Benches of the Supreme Court to be set up at various places. We are only asking for a Bench of the U. P. High Court to be set up at Meerut. The simple demand is, there should be one more Bench in U. P. One Bench is already there at Lucknow. This is not a new philosophy or phenomenon. I hope, the Law Minister will listen to me to what I am saying. Mr. Deputy Chairman, Sir, I seek your protection. He is having a conference there.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair is listening to you.

SHRI S. W. DHABE: The Minister is having round-table conference instead of listening to the debate. What is the use of our speaking here?

Now, Sir, what was the purpose of setting up the Jaswant Singh Commission? It was all fruitless. The real thing was that they did not want to set up a Bench at Meerut. That is why the Jaswant Singh Commission was appointed. Sir, Benches have been set up everywhere. A Bench was set up at Goa. Mr. Antulay, the then Chief Minister of Maharashtra, without even consulting the Central Government, set up a Bench at Aurangabad. The constitution of this Bench has been held legal. The important question is. whether we want decentralisation of judiciary or we do not want it. This is the real question. If we want, Benches should be set up at places wherever they are necessary.

Sir, there is another thing which has been mentioned in the statement. It has been said here that the Chief Justices of High Courts, in their conferences held in 1979 and 1985 expressed the view that as far as possible, new Benches should not be set up as it impedes the smooth functioning of the High Courts. I do not understand how it will impede the smooth functioning of the High Courts. I would like to point out what Chief Justice Chagla said when the Nagpur Bench was constituted. He said, whether the judges sit at a distance of ten feet or at a distance of hundred miles makes no difference so far as the administration of justice is concerned. It is no use saying that because the Bench is near Bombay High Court, they give better justice and if it is sitting at Nagpur or hundreds of miles away, justice will be bad. "This will be impeding the smooth functioning of the High Court" that is what the hon. Law Minister has said. I would like to understand from him what he means by this.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: This is not what I say.

SHRI S. W. DHABE: But you have quoted it. Quoted for what?

SHRI ASOKE KUMAR SEN: For your information.

SHRI S.W. DHABE: If you don't agree with this view, you should not have said like this. The experience with regard to Benches all over India is very good and excellent. People are happy. They are not required to spend huge sums of money to go to capital places, engage lawyers, paying them fabulous fees. They engage, lawyers at their places-the district lawyers. So it will also help in the growth of the Bar at different places. So this opinion should not be given any consideration and I am sure the Law Minister will not give any consideration to this.

Then it is something strange because contrary opinions are also given by the Chief Justices. "However, they have suggested that the primary consideration for setting up Benches should be the convenience of the litigant public. So if this is the opinion of the Chief Justices, then where is the hitch? The test is 'litigants' convenience. So whether it is convenient for litigants to have one at Meerut is the only decision to be taken. If this is to be the real test normally, then more Benches will have to be formed in our country. Staggering figures about arrears of cases pending in the Allahabad High Court and many other High Courts and Supreme Court have been given. Our demand has been that under Art. 130 of the Constitution, Supreme Court Benches should be formed. Unlike the Article dealing with the setting up of High Courts, Art. 130 provides that Supreme Court shall sit in Delhi or in any other place or places, as the Chief Justice of India may, with the approval of the President, from time to time, appoint. Entry 77 gives powers to the Central Government about constitution and jurisdiction of the Supreme Court. The word "jurisdiction" is used in Entry 77 so far as Supreme Court is concerned. The word "jurisdiction" is not used in Entry 78. Therefore, so far as High Courts are concerned, they can form Benches, they can form a High Court for more than one State, then can tag on a Union Territory, as Goa has been tagged on. So far as Supreme Court is concerned, they have already got powers. I fail to understand, when there is a general demand even for Supreme Court Benches from the South and East from Nagpur, even Hyderabad——the Andhra Pradesh Assembly has passed a Resolution—from Tamil Nadu, Madras Calcutta and other places, why the Government should not take an immediate stand on this matter? If they are really serious about clearing the arrears of cases pending in the various High Courts and in the Supreme Court, then I would suggest to the hon. Minister not to stand on prestige or by the opinion of the Judges and form the Benches of High Courts and Supreme Court, wherever necessary, for making justice cheap and easy.

SHRI MOSTAFA BIN QUASEM (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister has admitted in his statement that the establishment of a Bench of Allahabad High Court in the Western UP is a pressing demand and there were certain controversies regarding where the Bench will actually be established and the matter was sent to Jaswant Singh Commission which has already submitted its report. The report was submitted to the Government on 30th April, 1985.

Sir, I would like to refer to the last sentence in para 5 of the Statement of the hon. Minister; "However, they suggested that the primary consideration for setting up Benches should be the convenience of the litigant public" In my opinion, based on this primary consideration there is necessity for establishment of a Bench of the Allahabad High Court in the Western part of Uttar Pradesh. It is also on this primary consideration that there is a demand for and justification of the establishment of Benches of some other High Courts, as, for example, to have a Bench of the Kerala High Court at Trivandrum. There is also a demand for having a Bench of the Gauhati Court at Tripura, Here I would like

[Shri Mostafa Bin Quasem]

the hon. Minister to consider that Tripura is a separate State in our country. So the Government should be thinking of having a separate High Court at Tripura. We all should agree that after careful consideration and as far as practicable, new Benches of the existing High Courts should be opened in the different States. That will result in some sort of decentralization of justice and that will help to take justice to the doorsteps of common people thereby making justice a bit cheaper to the people. All this requires, as the hon. Minister has said in his statement, a comprehensive plan and programme and a decision on the part of the Government. But I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that the Jaswant Singh Commission which went into all these aspects, not only about opening of a Bench of the Allahabad High Court in western U. P. but also the question of opening of Benches of High Courts in other States also, had sumbmitted its report as far back as on 30th April 1985. Nine months have already elapsed since the submission of the report. My categorical question to the hon. Minister is: How long time will the Government take to come out with a comprehensive plan and programme regarding establishment of Benches of existing High Courts in the different States for which demands have already been made? This is my question to the hon. Minister. Thank you.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सफल अधिवक्ता भी हैं, वे सफल मंत्री भी हैं, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता नजर आता है। आप देखिये कि माननीय विधि मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसका अनुवाद साथ में हिन्दी में नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जो विधि मंत्री स्वयं सरकार के राजभाषा अधिनियम के साथ न्याय न करे, हिन्दी में उसकी प्रति भी उपलब्ध न कराये, वह विधि मंत्री देश की जनता के साथ क्या न्याय कर सकता है ? सबसे पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि राजभाषा अधिनियम विधि मंत्री की कार्यवाही के लिए है या नहीं ? उन्हें अपने वक्तव्य की प्रति राजभाषा हिन्दी में देनी चाहिए या नहीं ? अगर वे राजभाषा अधिनियम को नहीं मानते तो फिर बड़ी बड़ी बातों को कैसे मानेंगे ?

श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर जजों की न्यायपीठ देश में कहीं भी स्थापित करने के लिए कौन कौन से तत्व होने चाहिए ? क्या उसके लिए मुकदमों की संख्या आवश्यक है ? क्या जनता की आबादी आवश्यक है ? क्या स्थान का विस्तार आवश्यक है? क्या जनता की मांग आवश्यक है? सरकार की नीति सस्ता-सरल न्याय सुलभ करने की है। क्या न्याय पीठ स्थापित करने के लिए राजधानी का होना आवश्यक है ? अगर राजधानी का होना आवश्यक है तो भोपाल में तो उच्च न्यायालय नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं ... (व्यवधान)। उपसभापति जी, अगर मंत्री जी मेरी बात सुनें तो मैं प्रश्न पूछूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The honourable Minister's attention is invited by the Member.

SHRI ASOKE KUMAR SEN: I am listening.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : दूसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि जसवन्त सिंह आयोग ने अपना प्रतिवेदन दस माह पूर्व ही दिया है। उस आयोग ने अपनी बातों को किस प्रकार रखा, उसने अपनी बातों के लिये कौन से तर्क-वितर्क दिये। अगर यह हमें पता होता और सदन को इसकी जानकारी होती तो शायद इस पर आज चर्चा हो सकती थी, सटीक चर्चा हो सकती थी। लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं दी गई। दूसरी बात इसके संदर्भ में यह है कि मंत्री महोदय आज भी वही स्टेटमेन्ट दे रहे हैं जो जसवन्त सिंह आयोग के पूर्व दिया करते थे। तो इस आयोग के प्रतिवेदन के बाद इनका क्या कार्य बदला, क्या नीति बदली या क्या विचार बदले उसका कोई पता इस आयोग के परिपेक्ष्य में नहीं चलता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि 30 अप्रैल को

बीते दस महीने हो चुके हैं तो इस अवधि में सरकार इस के पहले ही कोई जवाब लेकर या कोई स्टेटमेन्ट द्वारा सामने क्यों नहीं आई, सरकार ने अपनी नीति को स्पष्ट क्यों नहीं किया ?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आज देश में मुकदमेबाजी बहुत बढ़ती जा रही है और इससे हमारे विधि मंत्री जी अनभिज्ञ नहीं हैं । वे देश के एक जानेमाने अधिवक्ता हैं और मैं समझता हूं कि इसी को आधार मानकर विधि विभाग उनको सौंपा गया है । जो वर्तमान सरकार की नीति है वह यह है कि लोगों को नजदीक में ही सस्ता, सरल न्याय सुलभ किया जाय और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने अनुभव का लाभ देश की जनता को दें । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आज दिन जब यह बात की जाती है कि न्याय की जो सूत्र-बद्धता है वह न टूटने पाये । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि देश में जो दर्जनों उच्च न्यायालय हैं उनके कारण यह सूत्रबद्धता नहीं टूटी है तो कुछ न्यायालयों की बेंच खोल देने से यह सूत्रबद्धता कैसे खंडित होगी ? हो सकता है कि मंत्री जी, मंत्री बनने के बाद वकीलों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अलग न्यायालय खोलने अथवा अलग न्यायालय स्थापित करने की बात का समर्थन न करते हों, लेकिन मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने, कई गणमान्य मुख्य मंत्रियों और प्रधान मंत्री का उल्लेख किया है कि यह उनके द्वारा दिया गया वचन है । तो अन्त में मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार क्या इस बारे में कोई नीति निर्धारित करना चाहती है और क्या सरकार आज कोई ऐसी सूचना यहां पर देगी जिससे उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश, जो कई प्रदेशों का एक प्रदेश है और जो कई प्रदेशों की आबादी के बराबर का है और इस आबादी बहुल प्रदेश में लेटीगेशन, मुकदमेबाजी भी अधिक है तो ऐसी हालत में वहां के निवासियों को इंसाफ दिलाने का कोई सा रास्ता सरकार अपना रही है ?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. S. C. Mohunta. Please take two minutes.

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA (Haryana): Thank you very much, Sir, for the opportunity given to me. I will be very brief.

The demand for a Bench at Meerut is justified looking at it from any angle. The Jaswant Singh Commission report has been received on 30th April, 1985. It is difficult for me to believe that an eminent lawyer like Mr. Asoke Sen would require such a long time to decide about the brief that he has received regarding establishment of a new Bench at Meerut. Would a person who can decide or argue the most complicated cases in no time, require such a long time? So I do not think that this is the reason for not coming forward with a clear-cut policy. I can only understand that there should be no obstacle in the way of having another Bench at Meerut when States smaller than Uttar Pradesh, with a lesser population than Uttar Pradesh, Like Maharashtra, Madhya Pradesh have three Benches. Uttar Pradesh is definitely a State with a large population, large litigation, large size and areas with natural barriers, which make it insurmountable for the people to reach a particular place. It becomes rather all the more necessary that we should have a bench at Meerut at the earliest. I have no doubt that Shri Ashok Sen will throw light on these. Supported as he is by this Deputy Shri Bhardwaj, I do not think both of these eminent lawyers would be side-tracking the issue. Rather they would grapple with it from the horns and announce their policy as soon as possible and create a Bench at Meerut, which would satisfy the demands of all the people of the State.

श्री शान्ति त्यागी (उत्तर प्रदेश) माननीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मुझे कहते हुए बड़ा खेद है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने आज जो वक्तव्य दिया है उससे हमें घोर

[श्री शान्ता त्यागी]

निराशा हुई । उनका नाम बहुत बड़ा हैं लेकिन वक्तव्य जो है वह बहुत निराशा जनक हैं । मै इस सदन में सन 1982 मे आया था और चार साल में इस हाउस में इस प्रश्न पर क्वेश्चन हुए हैं, हाफ-एन--आवर डिसकशन हुई है, स्पेशल मेंशन हुए हैं बिल भी आया हैं, रेजोल्यूशन आया है आज कालिंग अटेंशन मोशन भी आया है । चार साल खत्म हो गये मगर मांग जहां की तहां हैं । मैं आज के वक्तव्य के बाद, आप सब को भी कह रहा हूं जो बोल चुके हैं आपके माध्यम से कि मुझे आशा बन्धती है कि अगला अधिवेशन जब इस सदन का होगा तो उस में भी यह मांग ज्यों की त्यों पड़ी रहेगी । आपका आज का वक्तव्य सुनने के बाद मुझे यह कहने में कोई भी संकोच नहीं है । मान्यवर, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा । मैं माननीय न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने कार्यकाल में उस वक्त में मेरठ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था मेरी सदारत में लाखों की जनसभा में यह कहा कि यह मांग न्यायसंगत है मेरठ को हाई कोर्ट की एक बेंच मिलना चाहिये, क्या यह बात सही है, मैं माननीय न्याय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं ? (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र वर्मा : आपका क्वेश्चन उन्होंने नोट नहीं किया है । (व्यवधान) ।

श्रीं शांति त्यागी : आज के प्रधान मंत्री और उस वक्त आल इंडिया कांग्रेस कमेटी रूलिंग पार्टी के महासचिव माननीय राजीव गांधी जी ने मेरठ बार एसोसियेशन की मीटिंग में इस बात की घोषणा की कि पीठ का मामला सिर्फ मेरठ का नहीं है यह एक जायज मांग है अगर सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिये और भी जरूरी हो तो उत्तर प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी खंड पीठ की बेंच बननी चाहिये यह हम बनायेंगे । मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे मालूम है । पढ़ी नहीं है लेकिन मुझे पता लग गया हैं कि देहरादून के लिये या आगरा के लिये उन्होंने रिकमेंड किया हैं । आप वहां बेंच बना दीजिये मेरठ में मत बनाइये । मेरठ का हक तो पूरा है लेकिन मैं आपसे यह कहूंगा कि अब इस में क्या रुकावट हैं ? इंदिरा जी, राजीव जी का आशीर्वाद मिला, जसवंत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है तमाम दल के लोग भी यह मांग करते हैं मैं समझता हूं कि इलाहाबाद के चंद घराने जो बड़े वकीलों के पुश्तैनी चले आ रहे हैं उनकी धौंस पट्टी आपको मजबूर कर रही हैं और आप परेशान हैं । न्याय मंत्री जी से मैं सीधे निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वक्त ज्वाला धधक रही है । अगर हाई कोर्ट की बेंच वहां नहीं मिलती है तो वहां यह मांग हो रही है कि सूबे को बांट दिया जाये आप कृपया आज ही यह एलान करें कि यह मांग मंजूर कर ली गई हैं और शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा जायेगा कि पैसा खर्च करो और खंडा पीठ का भवन बनाना शुरू कर दो ।
आपका धन्यवाद ।

SHRI M. KADHARSHA (Tamil Nadu): I will not make any speech. I will put only two or three brief questions. The Jaswant Singh Commission has submitted its report long back and it is not fair on the part of the hon. Minister to say that it is still engaging the attention of the Government. I would like to have a categorical answer from the hon. Minister by when the Government will take a final decision on the report of the Jaswant Singh Commission.

Secondly, the demand of setting up a High Court Bench is not only from Western Uttar Pradesh, but there are several other States which are also demanding for Benches. My State is also demanding and the State Government has represented
1.00 P.M. that a Bench of the Madras High Court should be set up at Madurai. The Tamil Nadu State Assembly has also passed a resolution to this effect. I would like to know whether there are certain vested interests in the High Courts who are standing in the way to set up Benches in various parts of the States. The

statement of the Honourable Minister says that the smooth functioning of the High Courts and the quality of justice will be impaired if Benches are set up, is nothing but a fraudulent attack on the High Courts which are already having Benches. Does it not mean that the various high Courts in States like Rajasthan which is having a Bench at Jaipur and Jodhpur, Bombay which is having a Bench at Nagpur and Aurangabad, Uttar Pradesh which is having a Bench at Allahabad and Lucknow, Guwahati is not only sitting at Guwahati but also in other State Capitals of the North-Eastern Region, an attack by the Minister on these High Courts to say that the quality of justice will be impaired? I would like to know whether a uniform pattern will be followed by the Government? You know, Sir, that justice would not only be cheap but justice should be given within the prescribed time limit. Some thousands of cases are pending in our High Courts. It is most inconvenient to the litigant public to travel all the way hundreds of miles where the High Courts are situated. In view of this, whether each and every State in India will be allowed to have Benches? Whether the Government will give importance to the decision of the State Assemblies instead of the opinion of the High Courts to set up High Court Benches in their concerned States? These are my questions.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी अगर जसवंत सिंह आयोग का प्रतिवेदन हमारे पास होता तो शायद यह चर्चा और अच्छी होती । लेकिन सिवाय जो अखबारों में थोड़ा बहुत छपी है उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है । मैं विशेषकर जानना चाहूंगा कि ला कमीशन के पुराने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी कि बेंच नहीं होनी चाहिए अभी इस जसवंत सिंह कमीशन ने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या सिफारिश की है और अगर उन्होंने इसके पक्ष में सिफारिश की है कि बेंच उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए, सस्ता और सुलभ न्याय प्रस्तुत करने के लिए तो मैं निवेदन करना चाहूंगा विधि मंत्री जी से कि जो भी सिद्धांत उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्वीकार किया है उस सिद्धांत को देश भर के संदर्भ में भी सोचना चाहिए केवल कहीं पर ऐजीटेशन है कहीं पर आंदोलन है इसलिए उस आंदोलन के कारण हम किसी चीज को मान लें तो यह कोई सही एप्रोच नहीं है । मैं स्वयं एक स्पेसिफिक बात कहना चाहूंगा कि शायद प्रदेशों में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी राजधानी में हाईकोर्ट नहीं है और वह है मध्य प्रदेश जहां पर भोपाल में राजधानी होते हुए भी नहीं है । वहां पर निर्णय होते हैं । उन निर्णय के परिणामस्वरूप बहुत सारी समस्याएं खड़ी होती है लेकिन उनके लिए अगर हाईकोर्ट में किसी को जाना है तो हाईकोर्ट के लिए जबलपुर जाना पड़ेगा जो साढ़े तीन सौ किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जसवंत सिंह आयोग के संबंध में निर्णय करते हुए जितना शीघ्र निर्णय करें वह जरूरी है लेकिन अगर निर्णय करने में थोड़ी बहुत भी देर है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आयोग की जो रिपोर्ट है वह सदन के सामने रखें और सब लोगों को प्रसारित करें कि जिससे हर तर्क वितर्क इस तरफ की युक्ति और उस तरफ की युक्ति इन सारों को पढ़कर एक दृष्टिकोण दिया जा सके । मोटे तौर पर मैं इस मत का हूं कि सस्ता और सुलभ न्याय प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण होना चाहिए और इस दृष्टि से बेंच बनाया जाना उचित है ।

श्री अशोक कुमार सेन : सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा यादव जी से कि उनके पास हिंदी का अनुवाद नहीं पहुंचा । वह बाहर मैंने रखा था अगर ध्यान में आता तो उनके लिए वहां से ले लेना आसान होता ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : मैंने कार्यालय से मांगा था उन्होंने कहा हिंदी प्रति नहीं दी गयी है ।

श्री अशोक कुमार सेन : अभी बाहर था । आपको अभी दे देंगे..... (व्यवधान) अभी भी है । बाहर था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : इसी वजह से हिंदी में जवाब मिल रहा है ।

श्री अशोक कुमार सेन : इसीलिए आपके संतोष के लिए मैं हिंदी में जवाब देता हूं । तो यह मैं सच समझता हूं कि यह जो मांग हुई इसमें अ-युक्ति नहीं है। मैं मानता हूं कि इसके अनुकूल काफी युक्ति शामिल है । तब भी आप जानते हैं कि अतीत से लेकर एक इतिहास की बात है । कि कोई खास जगह अभी तक चुनी नहीं गई है जहां पर सब एक मत होकर यह बोल सकें कि यहां पर आप बिठायें । अगर एकमत सब हो जायें तो हमारे लिये बहुत आसान हो जाएगा । आप जानते हैं कि किस कारण के लिए यह जनवंत सिंह आयोग को हमने इस्तेमाल किया ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यही गलत कर दिया ।

श्री अशोक कुमार सेन : अब यह तो पुरानी बात है ...(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह आपने अ-युक्ति बात कही ।

श्री अशोक कुमार सेन : इन्दिराजी ने खुद बताया इस आयोग को मैं क्या कहूं और उनके शासन के ऊपर तो काफी चर्चा हुई । तब शासनों को हम कीमती समझते हैं जैसे पंत जी का शासन, इन्दिरा जी का शासन अगर अदब से गुजारिश करूंगा आपसे कि आप एकमत हो जाइये कि कहां पर पश्चिमी हिस्से में हम बिठायें तब तो सरकार के लिए....(**व्यवधान**)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : यह तो पोलिटिक्स है ।

श्री अशोक कुमार सेन : नहीं हम इसे पोलिटिक्स नहीं कहते हैं । अगर आप जबलपुर से हटा कर दूसरी जगह पर लायें तो बार एसोसिएशन ने हमको धमकाया कि हम एजिटेशन शुरू करेंगे । यह हमारे लिए पालिटिक्स नहीं है । अभी एकमत हो जाइए अगर रायपुर में आप बिठाना चाहते हैं तो वहां पर कहेंगे कि... (**व्यवधान**)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : सरकार एक निर्णय क्यों नहीं लेती है ।

श्री अशोक कुमार सेन : सरकार तो एक निर्णय लेगी मगर जोर से नहीं लेना चाहती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : पंजाब और असम का समझौता भी कराया कि नहीं यह भी कराइये ।

श्री अशोक कुमार सेन : वह फैसला तो जरूर होना चाहिए, तब भी हम चाहते हैं कि जैसे आपस में एक साथ बैठ कर जितना ही जनमत एक हो सकता है, उतनी ही कोशिश करनी पड़ेगी ।...(**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : यह जिनके लिए बना रहे हैं, वह नम्बर आफ केसेज पर कर दीजिए ।

श्री अशोक कुमार सेन : अगर किसी ने कहा कि मेरठ के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बहुमत शामिल हैं, तब क्या... (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जहां नम्बर आफ केसेज हों, वहां कर दीजिए ।

श्री अशोक कुमार सेन : इसीलिए हम चाहते हैं कि समग्र दृष्टि के आधार पर हम ऐसे बुनियादी असूल तय करें जिसके ऊपर हम सारे देश में इस प्रश्न का समाधान कर सकें, जैसे मद्रास में भी चालू होगा, मद्रास के लिए चालू होगा, सब जगह के लिए चालू होगा, जैसे आप जानते हैं कि आज उत्तर-पूर्व सीमांत में काफी मांग है कि यहां पर सब प्रदेश में एक-एक हाई कोर्ट हो जाए ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : नम्बर आफ केसेज एण्ड डिस्टेंस ।...(**व्यवधान**)

श्री अशोक कुमार सेन : ठीक है, यह तो हमने नोट कर लिया है । तब भी सरकार को एक नार्म में पहुंचना पड़ेगा कि किस मौलिक बुनियाद के ऊपर हम इस मामले को निपटा सकें ।

इसलिए हम सोचते हैं---मैं आपको बहुत अदब से कहता हूं कि यह ध्यान में है, हम सोचते हैं और हम प्रादेशिक सरकार के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद जरूर आपके सामने हम अपने सिद्धांत रखेंगे ।

श्री शान्ति त्यागी : सरकार मेरठ के लिए तो हां कर चुकी है ।

श्री अशोक कुमार सेन : नहीं कर चुकी है । अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं बताया कि कौन सी जगह वह चाहती है । वह अगर चाहती थी, तब तो बहुत पुरानी बात है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, चार मुख्य मंत्री और देश के भूतपूर्व प्रधान मंत्री भी मेरठ के लिए कह चुकी हैं, श्रीमती इन्दिरा गांधी... (**व्यवधान**)

श्री अशोक कुमार सेन : श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात ठीक है ... (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा : चार मुख्य मंत्री भेज चुके हैं नारायण दत्त तिवारी, बनारसी दास और सम्पूर्णानन्द जी... (**व्यवधान**)

श्री अशोक कुमार सेन : यह तो देखना पड़ेगा । हम तो इन्कार नहीं करेंगे आपसे, मगर देखना पड़ेगा, अगर ऐसा होता, तो जल्दी-जल्दी बन जाता ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : किसी ने कहा था नहीं कहा, पर इन्दिरा गांधी जी ने तो कहा... (**व्यवधान**)

श्री अशोक कुमार सेन : आप जानते हैं काफी मुश्किल थी । आप भी जानते हैं कि यह एकमत नहीं हुआ है । अब तक भी एकमत नहीं हो पाया है । अगर एकमत होता, तो फौरन बना देते। हमारा क्या है, यह मैं मानता हूं कि वह डी०बी० हिसाब से है एक वृहत प्रदेश में जहां पर कि आबादी बहुसंख्या में है तो वहां पर हाई कोर्ट की शाखा विभिन्न जगहों पर खोलनी पड़ती हैं । जैसे न्याय विचार हम एकदम दरवाजे के सामने पहुंचा हैं, यह सही बात है, यह हमारी नीति है कि सुलभ से, द्रुत से, एकदम आवास के निकट न्याय व्यवस्था को पहुंचा दें, यह तो हमने कई बार सदन के सामने घोषणा की है और बाहर भी मैंने घोषणा की है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा चर्चा होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि जहां-जहां बृहत् प्रदेश हैं वहां पर काफी जनसंख्या है वहां पर न्याय विचार को सुलभ और निकट लाने के लिए अगर व्यवस्था करने की जरूरत हो तो वह करनी चाहिए, यह तो मैं मानता हूं । अभी जो बाकी चीजें हैं वे आपके सामने हम रखेंगे । आप सारे यू०पी० के सारे मैम्बरान से बैठकर एक जगह के बारे में आप हमारे पास अपनी रिकमेंडेशन पहुंचा दीजिए।... (**व्यवधान**)

SHRI VIRENDRA VERMA: We are all unanimous on establishing a bench in western U. P.

श्री अशोक कुमार सेन : आप आपोजीशन की ओर से, कांग्रेस की ओर से सारे यू०पी० के मैम्बरान एक साथ बैठ कर अपनी रिकमेंडेशन आप भेज दीजिए । यह चीज अब तक तो नहीं हो पाई है । तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसे करिए ।

आप देखिए उस रोज कम से कम दो सौ एडवोकेट जबलपुर से आये थे अपने लीडर के साथ । उन्होंने बोला कि अगर आप जबलपुर से हाई कोर्ट को हटायेंगे तो हम एजीटेशन शुरू करेंगे । हटाने की बात नहीं हुई लेकिन तब भी कहा कि दूसरी जगह पर भी जबलपुर का हिस्सा आप बांट देंगे तब भी हम एजीटेशन करेंगे । मैंने कहा कि एजीटेशन के डर से हम गलत काम नहीं कर सकते । आप नीति के ऊपर, युक्ति के ऊपर सवाल करें तब तो हम विचार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मान्यवर, यह जो हाई कोर्ट हैं यह केवल वकीलों के लिए है या यह लिटीगेंट पब्लिक के लिए या न्याय के लिए बना रखी है ?

श्री अशोक कुमार सेन : प्रश्न का जवाब प्रश्न ही देता है कि न्याय व्यवस्था वकीलों के लिए नहीं, बल्कि इंसान के लिए है, जो कि न्याय चाहते हैं । इन शब्दों से हम फिर दोबारा बोलना चाहते हैं, हम इस विषय पर चर्चा चाहते हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सिद्धांत में हम सोच सकेंगे और इसके बाद जल्द से जल्द आपके पास इसकी जानकारी दे सकेंगे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : आप आयोग की रिपोर्ट पेश कीजिए । आयोग की रिपोर्ट होनी चाहिए ।

श्री अशोक कुमार सेन : जब सरकार उसके ऊपर सिद्धांत में सोचेगी तब फौरन हम पेश करेंगे ।

REFERENCE TO THE REPORTED FIRE ACCIDENTS IN DELHI

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Sir, it seems that Delhi is on fire. Always there is fire in Delhi. In today's newspapers, a news item has appeared that about 20 jhuggies have been destroyed due to fire and about 400 families, may be more, have been rendered to tally homeless. It is being complained by the people who are the victims that the fire brigade was very late in reaching the place. This is the first news item. Then today we have another news item that the Delhi Administration is playing with fire. It says that the Delhi Administration is very much reluctant in enforcing the regulations so that fire does not take place in the way it is taking place now. Therefore, it is some sort of dereliction of duty on the part of the Delhi Administration. Then we have a third news item: "Pandal fire toll rises to seven". Two days back there was a pandal fire and seven people have so far died. You may remember, Sir, that some time back there was fire in a big hotel. My point is that in Delhi, being the capital city of India, there should be enough protection so that fire does not take place. Secondly, if a fire takes place, the Fire Brigade should rush to the spot very promptly and quickly. And thirdly, the regulations must be very strictly enforced. I make this submission because such an incident has taken place only yesterday. Over and above that, I don't say I demand, but I expect the Government to be generous in rendering some help to the poor rikshawwallahs who had all their things destroyed yesterday. These people had taken some loans from banks. They might have been doing some little business. They have now lost everything. Therefore, the Government should give some relief by way of generous advances to them. I believe, therefore, that the administration in Delhi will take steps so that there is no recurrence of such fire accidents.

REPORTED THREAT OF CLOSURE FACED BY MANY SMALL-SCALE INDUSTRIES IN BIHAR DUE TO ACUTE SHORTAGE OF POWER

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभापति जी, बिहार प्रदेश को प्राकृतिक सम्पदाओं के बावजूद भी जो पिछड़े पन का मुकाबला करना पड़ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है बिहार में बिजली की कमी । मैं देख रहा था कि एक खगरिया जिला है, छोटा सा, सबसे पिछड़ा हुआ उद्योग-धंधे में है । वहां पर बिजली की आपूर्ति न होने के कारण लगभग साढ़े 27 सौ लघु उद्योग रुग्ण हो चुके हैं । इतना ही नहीं, सारे प्रदेश को हम लें, तो बिजली के अभाव में लाखों लघु-उद्योग और उद्योग बंद होते जा रहे हैं ।

उपसभापति जी, सबसे बड़ा कारण आज जो स्थिति बनी है, वह है बिहार में सारे उद्योग-धंधे इस प्रदेश को छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं । बिजली के साधन वहां पर सब मौजूद हैं ।